कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 6 (6)/एफ. डी./रूल्स /2010 दिनांक 25.04.2012 के अंतर्गत मेडिकल बोर्ड,श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय, सीकर के Certificate No.-20 Date: 06/03/2006 की अभिशंषा के आधार पर श्री हनुमान प्रसाद,व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि सरगोठ, श्रीमाधोपुर, सीकर को दिनांक 09.09.2020 से उनके मूल वेतन का छः(6) प्रतिशत जो अधिकतम 600/– प्रतिमाह, दोनों में जो भी कम है, की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।

यह निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा/संस्था/सी–6/रावि/विकलांग भत्ता/2018/212 दिनांकः–01/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय .....।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3.जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4.संबंधित प्रधानाचार्य.....।
5.संबंधित कार्मिक।
6.अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7.रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर